न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 63/22

तारीख दायर 12.4.22

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :– प्रकरण संख्या ....63/22........ प्रत्थरगढी बाबत्।

नन्दु बाई पत्नि रामलाल जाति धाकड निवासी बिजौलियाँ खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थीया

बनाम

1– नानालाल पिता घीसा जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी खडीपुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

2– शंकरलाल पिता देवीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

3– मोहन पिता देवीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट

–:आदेशः–

दिनांक

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री नन्दु बाई धाकड** ने जरिये अभिभाषक **श्री सुनील बाकलीवाल** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियाँ खुर्द, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 51 आराजी नंबर 235 रकबा 0.5342 हैक्टेयर भुमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2076 से 2079** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड् रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियाँ खुर्द, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 51 आराजी नंबर 235 रकबा 0.5342 हैक्टेयर भुमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि ..../– रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ